

21.9.21

~~वकील-शर्मागण व शर्मागण रवेंद्र
अथवा शर्मागण की ओर के शर्मागण
पत्र पेश का परभावली तलाक
कराने एवं जरीने विहीन शर्मागण
पत्र को खारिज कराने का
निवेदन किया गया।~~

~~शर्मागण के द्वारा गुरु
शर्मागण पत्र को स्वीकार का
शर्मागण के निवेदन को जरीने
विहीन खारिज किया जाता है,
ठीक्याई निवेदात्मक दिनांक
30.07.2021 व 2.09.2021 को
अपास्त किये जाते हैं।~~

~~परभावली लैफ्ट सुकाए शेकर
नमक के मत हो~~

NOT
PROCESSED

वकील-शर्मागण

प्रति
महोदय
महोदय
महोदय

Pr
21

सहायक कमिश्नर
(S.D.O.) बालोतरा

